Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में प्रहराधिकारी, आबकारी थाना मावली, उदयपुर 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *25 जुलाई, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी, आबकारी थाना मावली, जिला उदयपुर को परिवादी से 25 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके ढ़ाबे पर अवैध शराब का आरोपी लगाकर झूठा केस बनाने की धमकी देकर रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी, आबकारी थाना मावली, जिला उदयपुर द्वारा मासिक बन्धी के रूप में **30 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती सोनू शेखावत एवं पुलिस निरीक्षक श्री हरिशचंद्र** की टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए दलाल भैंरूसिंह पुत्र श्री भंवर सिंह चुण्डावत निवासी बागरोदा पोस्ट भीमल, पुलिस थाना मावली, जिला उदयपुर हाल अनुबंध वाहन चालक, आबकारी थाना मावली के द्वारा परिवादी से रिश्वत के 25 हजार रुपये प्राप्त कर आरोपी रविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह निवासी कड़वड़, पुलिस थाना कड़वड़, तहसील व जिला जोधपुर हाल प्रहराधिकारी, आबकारी थाना मावली, जिला उदयपुर को उसके हिस्से के 21 हजार रुपये देने पर आरोपी रविन्द्र सिंह प्रहराधिकारी, आबकारी थाना मावली, जिला उदयपुर को रिश्वत राशि सहित गिरफ्तार किया गया है। दलाल भैरूसिंह अनुबंध वाहन चालक एसीबी कार्यवाही भनक लगने पर मौके फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।